

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-49/2017-18/ 05 (आ0)/मत्स्य/राँची/दिनांक 24.06.21

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,(सभी)
जिला मत्स्य पदाधिकारी,(सभी)

विषय-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत मो0 2,99,97,800/-रु0 मात्र (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तान्वे हजार आठ सौ) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग-

सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 05 रा0 (विभाग) दिनांक 16.06.2021 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 448 तथा आवंटन सं0 21 आ0 (विभाग) दिनांक 23.06.2021 ऑनलाईन आवंटन सं0 1047, 1048 एवं 1049 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 05 रा0 (विभाग) दिनांक 16.06.2021 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 448 तथा आवंटन सं0 21 आ0 (विभाग) दिनांक 23.06.2021 ऑनलाईन आवंटन सं0 1047, 1048 एवं 1049 के आलोक में मो0 2,99,97,800/-रु0 मात्र (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तान्वे हजार आठ सौ) रु0 मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 299.978 लाख रु0 मात्र (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तान्वे हजार आठ सौ) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 224/बजट, दिनांक 30.03.2021 के आलोक में शत-प्रतिशत अधिसीमा अंतर्गत दिया जा रहा है।

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 17 कार्यालय उपकरण	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 37 विद्युत व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050010156010323	53S24050010156010317	53S24050010156010759	53S24050010156010337	
1	2	3	4	5	6	7
1	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, हजारीबाग	1224000	0	0	0	1224000
2	जि०म०पदा० रामगढ़	918000	600000	0	200000	1718000
3	जि०म०पदा० कोडरमा	1368000	600000	200000	100000	2268000
4	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, चतरा	390600	0	0	0	390600
5	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, बोकारो	1494000	0	0	1100000	2594000
6	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, गिरीडीह	468000	0	0	0	468000
7	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, धनबाद	972000	300000	400000	600000	2272000
8	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, गोड्डा	468000	0	0	0	468000
9	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, पलामू	396000	0	0	0	396000
10	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, गढ़वा	396000	0	0	0	396000
11	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, देवघर	1404000	0	0	0	1404000
कुल योग:		9498600	1500000	600000	2000000	13598600

मो० एक करोड़ पैंतीस लाख अठान्वे हजार छः सौ रु० मात्र।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 17 कार्यालय उपकरण	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050079656010323	53S24050079656010317	53S24050079656010759	
1	2	3	4	5	6
1	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, राँची	1404000	500000	0	1904000
2	जि०म०पदा०, खूँटी	450000	0	0	450000
3	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, गुमला	630000	0	0	630000
4	जि०म०पदा०, सिमडेगा	792000	0	0	792000
5	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, लोहरदगा	756000	0	0	756000
6	जि०म०पदा० लातेहार	360000	0	0	360000
8	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, प० सिंहभूम	990000	0	0	990000
7	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, पूर्वी सिंहभूम	450000	0	0	450000
9	जि०म०पदा० सरायकेला	2707200	1000000	600000	4307200
10	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, दुमका	810000	0	0	810000
11	जि०म०पदा० जामताड़ा	630000	0	0	630000
12	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, साहेबगंज	360000	0	0	360000
13	जि०म०पदा०, पाकुड़	360000	0	0	360000
कुल योग:		10699200	1500000	600000	12799200

05/06/21
24/06/21

म. ज. प.

म. ज. प.

म. ज. प.

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री
	विपत्र कोड	53S24050078956010323
1	2	3
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, राँची	270000
2	जि०म०पदा०, खूँटी	90000
3	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गुमला	90000
4	जि०म०पदा०, सिमडेगा	90000
5	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, लोहरदगा	90000
6	जि०म०पदा० लातेहार	90000
7	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, प० सिंहभूम	90000
8	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, पूर्वी सिंहभूम	90000
9	जि०म०पदा० सरायकेला	450000
10	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, दुमका	90000
11	जि०म०पदा०, जामताड़ा	90000
12	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, साहेबगंज	90000
13	जि०म०पदा०, पाकुड़	90000
14	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, हजारीबाग	198000
15	जि०म०पदा० रामगढ़	126000
16	जि०म०पदा० कोडरमा	414000
17	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, चतरा	90000
18	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, बोकारो	198000
19	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गिरीडीह	108000
20	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, धनबाद	144000
21	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गोड्डा	108000
22	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, पलामू	108000
23	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गढ़वा	108000
24	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, देवघर	288000
कुल योग:		3600000

मो० छत्तीस लाख रु० मात्र।

तीन लघु शीर्षों में कुल आवंटन मो० दो करोड़ निम्नान्वे लाख सन्तान्वे हजार आठ सौ रु० मात्र।

24/06/21

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान का दृढ़ता से पालन किया जाए।
7. आवंटित राशि का व्यय वित्त नियमावली भाग-1 के नियम 475 के दिये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
8. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाये। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाये।
9. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय, किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी0भी0 एवं तिथि के साथ निदेशालय को भौतिक प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप उपलब्ध करावें।
11. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों में विपत्र कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
12. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
13. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है।
14. स्वीकृतादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
15. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

24/6/21
(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 05 (310) मत्स्य/राँची, दिनांक 24.06.2021

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/योजना शाखा, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/21
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 05 (310) मत्स्य/राँची, दिनांक 24.06.2021

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/21
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।